अनुदान संख्या–14
लेखा शीर्षक–2515008000500–35

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक/
आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/26/2022–1/158/2022 लखनऊः दिनांक 13 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान सं0–14 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के क्रियान्वयन हेतु रू0–100.00 लाख का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–4/2022/1528/001–1713–2021,टी0सी0 दिनांक 16–08–2022 (प्रति संलग्न) जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजनान्तर्गत के अनुदान संख्या–14 में वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष योजना के क्रियान्वयन हेतु **रू0–100.00 लाख (रूपये सौ लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत **रू0–100.00 लाख (रूपये सौ लाख मात्र))** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–13/2022/बी–1–454/दस–2022–231/2022, दिनांक 07–06–2022 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित किया गया है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व योजना प्रभारी का होगा।

3– उक्त आवंटित धनराशि के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर जी जाय।

4– इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– उक्त योजनान्तर्गत होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–05–उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना–35–परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

6– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–4/2018/आर0जी0–1021/दस/2018–मि0–1/2017, दिनांक 18–09–2018 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

7– उपरोक्त आवंटित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में जमा नही किया जायेगा।

8– उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना हेतु निर्गत दिशा–निर्देश (गाइड लाइन) के शासनादेश सं0–57/2021/2177/33–3–2021–1713/2021, दिनांक 12–11–2021 के अनुसार किया जायेगा।

9– प्रश्नगत धनराशि का आवंटन जिस कार्य/मद हेतु किया जा रहा, उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा।

10– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

11– उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का व्यय इसी चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगा।

12– इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1,00,00,000.00 (रूपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–14 लेखाशीर्षक 2515008000500–उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के मानक मद–35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

13–आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

14–उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर योजना प्रभारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

15–धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–144 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1/शा0/26/1/2022 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।

2– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज–211001.

3– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।

4– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।

5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6– उप निदेशक(पं0)/योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

7– एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(प्रदीप कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-13/09/2022

प्रेषण संख्या:- 1-sha-26-2022-1-158-2022
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1 -158- 2022
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय
05 - उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000

(7)

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़

(प्रदीप कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी